न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 63/2026

वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

मीतो बाई पत्नी छिन्द्रपाल जाति बाजीगर निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

बनाम्

1. हरदीपराम पुत्र स्व. छिन्द्रपाल जाति बाजीगर निवासी भगतपुरा तहसील संगरियां
2. गुरदीपराम पुत्र छिन्द्रपाल जाति बाजीगर निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
3. जगदीपराम पुत्र छिन्द्रपाल जाति बाजीगर निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री महावीर बेरड एडवोकेट (वादी)
2. कुलदीप मूण्ड एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 3)

निर्णय

दिनांकः— 9-3-2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीया प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की माता है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के स्व. पति/पिता छिन्द्र सिंह पुत्र श्री मीठू सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 54/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.506 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीया के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। अब प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई भी हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वादीया को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैः— वादीया मीतो बाई पत्नी स्व. श्री छिन्द्रपाल जाति बाजीगर निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 54/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.506 है. कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादीया ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

अतः वाद वादीया प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के स्व. पति/पिता छिन्द्र सिंह पुत्र श्री मीठू सिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 54/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में 0.506 है. कृषि भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक छिन्द्र सिंह पुत्र श्री मीठू सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 4 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 54/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 की जमाबंदी प्रदर्श करवाई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक चक 12 बी.जी.पी. के खाता सं. 54/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में छिन्द्रसिह पुत्र मीठूसिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया ओर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे मृतक छिन्द्रसिह पुत्र मिठूसिह के नाम है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 12 बी.जी. पी. के खाता सं. 54/44 जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में मृतक छिन्द्रसिह पुत्र मिठूसिह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीया मीतो बाई को खातेदार काश्तकार घोषित कर छिन्द्रसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 9-3-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया